न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विषेश न्यायाधीष (ई0सी0 एक्ट), गोरखपुर

उपस्थित – श्री संतोष कुमार गौतम, (उच्चतर न्यायिक सेवा)

सत्र परीक्षण संख्या–427/2016

सरकार :————बनाम————: झारखण्डेय राय ।

धारा–302 भा0दं0सं0

थाना–गगहा, जिला–गोरखपुर।

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। प्रार्थना पत्र 16ख अंतर्गत धारा–319 दं0प्र0सं0 पर विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना जा चुका है।

प्रश्नगत मामले मे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की ओर से प्रार्थना पत्र 16ख अंतर्गत धारा–319 दं0प्र0सं0 इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी उपरोक्त मामलो का वादी मुकदमा है। मुकदमा उपरोक्त के मुल्जिमान झारखण्डे राय व सुधीर राय व श्रीमती दिव्या राय पत्नी झारखण्डे राय ने षडयन्त्र व सोची समझी साजिश के तहत मुकदमा उपरोक्त की घटना को अन्जाम देकर प्रार्थी/वादी की मॉ स्व0 कौशिल्या देवी की निर्मम हत्या किया। घटना की सूचना होने पर प्रार्थी ने उपरोक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध मुकदमा थाना गगहा गोरखपुर में मुकदमा पंजिकृत कराया। मुकदमा उपरोक्त की घटना में अभियुक्तगण उपरोक्त की संलिप्तता चिकित्सीय एवं मौखिक साक्ष्य से साबित होती है। विवेचक मुकदमा उपरोक्त में सभी मुल्जिमानो के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य होने के बावजूद निष्पक्ष विवेचना नही किया और अभियुक्तगण के प्रभाव मे आकर उन्हे लाभ पहुचाने की गरज से उनके प्रभाववश अनुचित लाभ लेकर अभियुक्तगण सुधीर राय पुत्र विजय नारायण राय व श्रीमती दिव्या राय पत्नी झारखण्डे राय के विरूद्ध आरोप पत्र न दाखिल कर उन्हे मुकदमे के दौरान विवेचना मे बरी कर दिया। मात्र एक व्यक्ति झारखण्डे राय के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जो न्यायालय के विचारण मे है। मुकदमा उपरोक्त मे प्रार्थी/वादी मुकदमा व प्रार्थी के पिता राधेश्याम का बयान व जिरह बतौर अभियोजन साक्षी सं0 1 व 2 के रूप मे हो चुका है। जिसमे सभी अभियुक्तगण की अपराध करने मे संलिपत्तता बतायी गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट मे नामित अभियुक्तगण सुधीर राय व दिव्या राय को बतौर अभियुक्त परीक्षण हेतु न्यायालय तलब किये जाने की प्रार्थना की गयी।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता के समर्थन पर वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा 32ख के निस्तारण पर बल दिया गया है।

प्रकरण उपरोक्त में वादी मुकदमा आशुतोष राय के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी थी कि ''मेरी मॉ कौशिल्या राय अकेली रहती है और गॉव पर प्राथमि विद्यालय महुजा मे प्रधानाध्याकि है। मेरे मकान मे मेरे चाचा विजयनरायण का भी परिवार रहता है। मकान मे कमरे बटे है मेरी मॉ मकान के दुसरे मंजीले कमरे मे रहती है। दिनॉक 20.11.2014 को स्कुल की दाई ने मुझे टेलीफोन से सूचना दी की आप की माता जी की मृत्यु हो गयी है। इस सुचना पर मै तथा मेरे पिता और परिवार के अन्य

लोग घर पर आये देखे की मेरी मॉ कौशिल्या देवी अपने कमरे मे फर्श पर मरी पडी तथा उनके मुॅह पर खुन लगा था तथा जीभ का कुछ भाग बाहर दिखाई दे रहा था तथा शरीर पर और कही चोट नही थी। मुझे विश्वास है कि मेरे चचेरे भाई झारखण्डे राय ने मेरी मॉ के साथ घटना किये है। मेरी मॉ कमरे में रेडियो चल रहा था जिसे कुछ लोगो ने बन्द कर दिया था मेरी मॉ आज सुबह 5 बजे टहलने गई थी। घर पर 6 बजे आ गई थी। सुचना दे रहा हूॅ। कार्यवाही करने की कृपा करें।''

विवेचक के द्वारा विवेचनोपरान्त केवल झारखण्डे के विरूद्ध ही आरोप पत्र अंतर्गत धारा 302 भा0दं0सं0 प्रेषित किया गया है। न्यायालय के द्वारा अभियुक्त झारखण्डेय के विरूद्ध आरोप दिनॉक 18.11.20217 को विरचित किया गया है। अभियोजन की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप मे साक्षी पी0डब्लू0 1 के रूप मे वादी मुकदमा आशुतोष राय, पी0डब्लू0 2 राधेश्याम राय एवं संजू देवी पी0डब्लू0 3 के रूप मे परीक्षित कराया गया है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के निस्तारण मे धारा–319 (1) दं0प्र0सं0 के प्रयोजन का उल्लेख करना अनिवार्य है। उक्त प्रावधान यह उपबंधित करता है कि ''जहॉ किसी अपराध की जॉच या विचारण के दौरान साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति ने, जो अभियुक्त नही है, कोई ऐसा अपराध किया है जिसके लिए ऐसे व्यक्ति का अभियुक्त के साथ विचारण किया जा सकता है, वहॉ न्यायालय उस व्यक्ति के वियद्ध उस अपराध के लिए जिसका उसके द्वारा किया जाना प्रतीत होता है, कार्यवाही कर सकता है।'' इस प्रकार न्यायालय को विशिष्ट तथ्यो एवं परिस्थितियो मे इस धारा के अधीन ऐसी शक्ति प्राप्त है। जो अभिकथित अपराध में संलिप्त अभियुक्त के विरूद्ध उचित आदेशिका निर्गत कर सके। यद्यपि न्यायालय को इस संबंध मे विवेक प्राप्त है, परन्तु न्यायिक विवेक का प्रयोग पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो के आधार पर ही किया जा सकता है।

प्रस्तुत मामले मे यद्यपि कि प्रस्तावित अभियुक्तगण के नाम का उल्लेख तहरीर मे किया गया है, परन्तु वादी द्वारा उन्हे अभिकथित अपराध करते हुए देखा नही गया। बल्कि संदेह के आधार पर उनका नाम तहरीर मे दिया जाना बताया गया है। विवेचना के उपरान्त विवेचक द्वारा प्रस्तावित अभियुक्तगण की नामजदगी गलत पाये जाने पर उनका नाम विलोपित किया गया था। दौरान विचारण वादी, जो पी0डब्लू0 01 के रूप मे परीक्षित कराये गये, उनके द्वारा तहरीर मे उल्लिखित तथ्यो का समर्थन करते हुए, प्रस्तावित अभियुक्तगण के संबंध मे अधिकथन किया गया है कि ''मॉ की हत्या होते मैने देखा नही किन्तु मुझे पुर्ण विश्वास है कि मेरी मॉ की हत्या उक्त लोगो द्वारा की गयी है।'' इसी प्रकार पी0डब्लू0 02 के रूप मे परीक्षित वादी के पिता राधेश्याम द्वारा दौरान विचारण यह कहा गया है कि ''पत्नी कौशिलया देवी के लाश को देखने से पता चलता है कि उनकी हत्या की गई है और वह हत्या जमीन रंजिश को लेकर उसी पुस्तौनी मकान मे रहने वाले झारखण्डे राय, सुधीर राय पुत्र विजय नरायण राय व दिव्या राय पत्नी झारखण्डे राय ने मिलकर किया है।''

उक्त तथ्यो के साथ माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा धारा–319 दं0प्र0सं0 के

विस्तार और उसमे उपबंधित न्यायिक विवेक के संबंध मे जो अवधारित किया गया है उसका उल्लेख किया जाना समिचिन प्रतीत होता है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **Sarojben Vs State of Gujarat (2012)1 SCC(Cri) 867** मामले मे यह अवधारित किया है कि– "The power conferred upon the court is although discretionary but is not to be exercised in a routine manner. In a sense, it is an extraordinary power which should be used very sparingly and only if evidence has come on record which sufficiently establishes that the other person has committed an offence. A mere doubt about involvement of the other person on the basis of the evidence let in before the court is not enough. The court must also be satisfied that circumstances justify and warrant that the other person be tried with the already arraigned accused."

इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा धारा–319 दं0प्र0सं0 के विस्तार की व्याख्या करते हुये **Sarabjit Singh Vs State (2009) 16 SCC 46** मामले मे अवधारित किया गया है कि – "For the aforementioned purpose, the courts are required to apply stringent tests, one of the tests being whether evidence on record is such which would reasonably lead to conviction of the person sought to be summoned.

Whereas the test of prima facie case may be sufficient for taking cognizance of an offence at the stage of framing of charge, the court must be satisfied that there exists a strong suspicion. While framing charge in terms of Sec. 227 of the Code, the court must consider the entire materials on record to form an opinion that the evidence if unrebuted would lead to a judgment of conviction.

माननीय उच्चत न्यायालय द्वारा पारित उक्त विधि व्यवस्थाओ के आलोक मे प्रस्तुत मामले के तथ्यों का विवेचन करने के उपरान्त अभियोजन साक्षीगण पी0डब्लू0 1 एवं पी0डब्लू0 2 द्वारा व्यक्त मात्र संदेह के आधार पर यह न्यायालय धारा–319 दं0प्र0सं0 द्वारा प्रदत्त न्यायिक विवेक का प्रयोग किया जाना समुचित नही पाती है।

इस प्रकार अभियोजन की तरफ से जो भी साक्षीगण प्रस्तुत किये गये हैं, उन साक्षीगण के साक्ष्य में आये कथन को देखते हुए सुधीर राय व श्रीमती दिव्या राय के विरूद्ध आदेशिका जारी किये जाने हेतु पर्याप्त आधार प्राप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में वादी मुकदमा की तरफ से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 319 दं0प्र0सं0 स्वीकार किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। तदनुसार उक्त प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

वादी मुकदमा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अंतर्गत धारा–319 दं0प्र0सं0, कागज सं0 16ख निरस्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनॉक 10.09.20212 को पेश हो।

(संतोष कुमार गौतम)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट) गोरखपुर।

दिनांक 31.08.2021